—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

// आदेश //

क्रमांक....125../एक–11–1/11 उज्जैन, दिनांक 02.... नवंबर 2026

आपराधिक प्रकरणों एवं उनके संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियों के निष्पादन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 06.08.2026 के द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, का पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जायेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में, जन्म एवं मृत्यु के घटित होने के दो वर्ष पश्चात् के विलंबित पंजीकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियों के निराकरण हेतु मैं पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन म0प्र0 निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को अधिकृत करता हूँ :–

उज्जैन नगर निगम एवं तहसील उज्जैन व घटिया

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	श्री किशन देव सिंह पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उज्जैन	**नगर निगम झोन क्रमांक 01, 02, 03 तथा तहसील घटिया से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	श्रीमती स्वाति भार्गव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उज्जैन	**नगर निगम झोन क्रमांक 04, 05, 06 तथा तहसील उज्जैन (नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर के) से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

तहसील खाचरोद

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	श्रीमती शैफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद	**खाचरोद नगर पालिका से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	सुश्री निर्मला पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरोद	**खाचरोद समस्त ग्रामीण से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

तहसील नागदा

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	सुश्री फातिमा अली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा	**नागदा नगर पालिका से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	सुश्री सोनम शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागदा	**नागदा समस्त ग्रामीण से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

तहसील बड़नगर

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	श्रीमती भावना जाटवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़नगर	**बड़नगर नगर पालिका से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	सुश्री अवनी व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़नगर	**बड़नगर समस्त ग्रामीण से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

तहसील तराना

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	श्रीमती संगीता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना	**तराना नगर परिषद से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	श्री दीपक सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना	**तराना समस्त ग्रामीण से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

तहसील महिदपुर

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकृत किये गये क्षेत्र
1	श्री दीपक दाहिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर	**महिदपुर नगर पालिका से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई

		सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।
2	सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर	**महिदपुर समस्त ग्रामीण से संबंधित क्षेत्र** जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के अन्तर्गत उपधारा 3(क) के अनुसार जन्म या मृत्यु की ऐसी कोई सूचना जो उसके घटित होने के दो वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है।

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्रमांक...../एक–11–1/11 उज्जैन, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन
3. कलेक्टर जिला उज्जैन
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर
5. अभियोजन अधिकारी उज्जैन
6. एस.डी.एम. उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर
7. रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) जिला उज्जैन
8. आयुक्त, नगर पालिका निगम उज्जैन
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर

31.10.26
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)